

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंधाना जिला झुन्झुनु

मु०न०

किस्म मु०

रज्जु दिनांक

निर्णय दिनांक

02/19

धारा 91

28.01.19

28.02.19

उनवान सरकार बनाम अमर सिंह पुत्र महादाराम जाति गुर्जरअ निवासी कुठानिया तह० बुहाना जिला झुन्झुनु
निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने संवत् 2075 में इस आक्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम कुठानिया की राजकीय भूमि गै०मु० जोहड में ख०न० 527/88 रकबा 1.10है० किस्म गै०मु० ~~मु०~~ में 0.19 है० भूमि पर अमर सिंह पुत्र महादाराम जाति गुर्जरअ निवासी कुठानिया ने अवैध जौ व पक्का मकान डालकर अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित होकर प्रार्थ पत्र पेश किया गया कि उक्त अतिक्रमण रक्य हटा लेगे।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का महनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काबिज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये जौ व पक्का मकान के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण झुदा भूमि के लगान 0.69व 0.62 कुल की 50 गुणा जुर्माना राशि 66/- रु बतौर शरित कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू०अ०नि०/पटवारी हल्का को वारसे जमा कायमी/वेदखली/वसुली/ की जाकर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू० अ०नि० को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफतर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फौसला हो।

आज दिनांक 28.02.19 खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप तहसीलदार
सिंधाना झुन्झुनु

2
2020 66

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100